न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/642

श्रीमती मोबीना बानो पत्नी श्री बाबूखान जाति मुसलमान निवासी बंगाली कॉलोनी छावनी कोटा जरिये मुखतार आतम दीपक शर्मा आत्मज श्री श्रीचरण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नयापुरा कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास कोटा ।
2. मैसर्स एस.एम.एस. पर्यावरण लिमिटेड कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खतौनी संख्या 88 एवं 114 खसरा नम्बर 200 की रकबा 0.45 हैक्टर भूमि प्रार्थिनी के कब्जे काश्त खातेदारी मिल्कियती की है जिसकी प्रार्थिनी एकमात्र मालिक खातेदार व काबिज है । प्रार्थिनी के खाते की भूमि को किसी को भी उपयोग करने, निर्माण कार्य करने, फसल नष्ट करने व अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है । अप्रार्थीगण ने बिना प्रार्थिनी की सहमति के एवं बिना किसी प्रकार का मुआवजा तय किये दिनांक 20.11.2011 को उक्त आराजी के भाग पर चम्बल जल संरक्षण परियोजना के तहत जिसका कार्य प्रतिवादी क्रम 1 के निर्देश पर प्रतिवादी संख्या 2 कर रहा है ने प्रार्थिनी के उक्त

आराजी पर पाईप लाइन डालना प्रारम्भ कर दिया जिसका उन्हें विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थिनी का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थिनी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी जो कि प्रार्थिनी के कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमि है के किसी भाग पर खुदाई नहीं करें, पाईप लाइन या चेम्बर नही बिछायें कोई अतिक्रमण या निर्माण कार्य नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.11.2017 के द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.11.2017 से व्यथित होकर प्रार्थिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये तथा बिना स्वीकृति व सहमति के अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में गडढे खोदाना व पाईप लाईन डालना प्रारम्भ कर दिया है । इस तथ्य की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने के बावजूद भी प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते की है और अपीलान्ट के कब्जे में है। इस आराजी से रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है । अपीलान्ट की सहमति के बिना अपीलान्ट के खाते की आराजी में गडढे खोदकर पाईप लाईन डाली जा रही है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रार्थिनी अपीलान्ट के पक्ष में है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिनी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी उबड–खाबड है जबकि अपील में पेश की गई नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार वादग्रस्त आराजी में फसल हो रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जनहित में जल संरक्षण परियोजना के तहत चम्बल नदी के सहारे पाईप लाईन डाली जा रही है जो

जनहित का कार्य है । पर्यावरण की रक्षा एवं जल प्रदूषण को रोकने के लिए सहयोगी है । प्रार्थिनी की भूमि की पूर्व दिशा में चम्बल नदी के तट से लगती सीमा पर पाईप लाइन बिछा दी गई है उसे मिट्टी से ठीक कर पूर्ववत कायम कर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । रस्पोडेन्ट ने अवगत करवाया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जनहित में जल संरक्षण परियोजना के तहत चम्बल नदी के सहारे पाईप लाईन डाली जा रही है जो जनहित का कार्य है । पर्यावरण की रक्षा एवं जल प्रदूषण को रोकने के लिए सहयोगी है । प्रार्थिनी की भूमि की पूर्व दिशा में चम्बल नदी के तट से लगती सीमा पर पाईप लाइन बिछा दी गई है उसे मिट्टी से ठीक कर पूर्ववत कायम कर दिया गया है । प्रार्थिनी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है । अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा दौराने बहस इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पाईप लाईन बिछाने का काम पूर्व में हो चुका है । चूँकि पाईप लाईन बिछाने का काम जनहित का है और रेस्पोडेन्ट के द्वारा दौराने बहस एवं जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है और भूमि को पुनः मिट्टी डालकर पूर्ववत कर दिया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा जनहित में जल संरक्षण हेतु जो पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है वह पूर्व में हो चुका है । ऐसी स्थिति में अब अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । भविष्य में रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की आराजी में उनकी पूर्वानुमति के बिना कोई निर्माण कार्य नहीं करे ।

10. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थिनी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2017 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा